कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।
प्रशासनिक आदेश

माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श के उपरान्त पूर्व मे मजिस्ट्रेट न्यायालयो के कार्य वितरण के सभी आदेश तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी करते हुए मजिस्ट्रेट न्यायालयो के कार्य वितरण के सम्बन्ध मे निम्न आदेश पारित किया जाता है:—

जनपद बाराबंकी मे स्थित थानो से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी व परिवाद वाद एवं अन्य अधिनियम के अधीन संस्थित वादो के सुनवायी का क्षेत्राधिकार दिनॉक 28–7–2014 से निम्नवत रहेगा–

1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–18, बाराबंकी

(i) थाना कोतवाली नगर, थाना कोतवाली फतेहपुर, थाना जैदपुर के पुलिस चालानी वाद।
(ii) आबकारी अधिनियन के तहत समस्त विभागीय चालानी।
(iii) ए0आर0टी0ओ0 चालानी (जो टैक्स से सम्बन्धित नही है)।
(iv) भा0दं0सं0 की धारा–302 व 304बी के अन्तर्गत संस्थित होने वाले समस्त थानो से सम्बन्धित सभी प्रकार के वाद।

2. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–17, बाराबंकी

थाना कोतवाली हैदरगढ़, थाना असन्द्रा, थाना कोठी के पुलिस चालानी वाद।

3. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–12, बाराबंकी

थाना मसौली, थाना कोतवाली रामसनेही घाट, थाना बदोसराय, थाना मोहम्मदपुर खाला एवं थाना जी0आर0पी0 से सम्बन्धित पुलिस चलानी वाद।

4. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–16, बाराबंकी

थाना कोतवाली देवां, थाना सुबेहा, थाना रूदौली व थाना पटरंगा, थाना मवई के समस्त पुलिस चालानी वाद।

5. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–19, बाराबंकी

थाना सफदरगंज, थाना सतरिख, थाना लोनीकटरा के सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वाद।

6. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–25, बाराबंकी

थाना टिकैतनगर, थाना जहाँगीराबाद, थाना दरियाबाद के समस्त पुलिस चालानी वाद।

7. न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–27, बाराबंकी

थाना घुघंटेर, के समस्त पुलिस चालानी वाद एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से सम्बन्धित समस्त थानो के घरेलू हिंसा अधिनियम से सम्बन्धित समस्त मामले एवं घुघंटेर के समस्त परिवाद।

8. सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0–24 हैदरगढ (दूरस्थ न्यायालय)

थाना कोतवाली हैदरगढ, थाना लोनीकटरा, थाना सुबेहा व थाना कोठी के परिवाद वादो की सुनवायी की क्षेत्राधिकारिता होगी और इसी के साथ इन चारो थानो की पुलिस चालानी की क्षेत्राधिकारिता रखने वाले न्यायालयो के पीठासीन अधिकारियों को आदेशित किया जाता कि यदि धारा–156(3) दं0प्र0सं0 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों को परिवाद के रूप मे दर्ज करते है, तो, वे उन वादो को अबिलम्ब सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0–24 हैदरगढ, बाराबंकी (दूरस्थ न्यायालय) को भेजना सुनिश्चित करे। उपरोक्त चारो थानो के मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले पुलिस चालानी वादो की क्षेत्राधिकारिता भी इसी न्यायालय संख्या–24 को होगी।

9. अपर सिविल जज (जू0डि)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–21, बाराबंकी

थाना बड्डूपुर एवं महिसौ थाना के समस्त पुलिस चालानी वाद।

10. अपर सिविल जज (जू0डि)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–26, बाराबंकी

थाना रामनगर, थाना कुर्सी के समस्त पुलिस चालानी वाद।

* उपरोक्त न्यायालयो मे से, जो सायं–कालीन न्यायालय नही है, उनके पीठासीन अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि यदि दं0प्र0सं0 की धारा–156(3) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रो को परिवाद के रूप मे दर्ज करते है तो, उनको थानानुसार सम्बन्धित सायं–कालीन न्यायालयों को अन्तरित करवाना सुनिश्चित करे।

सायं–कालीन न्यायालयो मे परिवाद वादो के सुनवायी की क्षेत्राधिकारिता निम्नवत होगी–

1. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–12, बाराबंकी

थाना कोतवाली नगर, [illegible] कोतवाली रामसनेही घाट, थाना बदोसराय, थाना मोहम्मदपुर खाला, थाना मसौली, थाना जी[illegible]0।

2. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–19, बाराबंकी

थाना कोतवाली फतेहपुर, थाना कोतवाली देवां, थाना जैदपुर, थाना असन्द्रा, थाना सतरिख, थाना सफदरगंज।

16/7/17

3. <u>अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–25, बाराबंकी</u>

थाना रामनगर, थाना टिकैतनगर, थाना जहाँगीराबाद, थाना दरियाबाद, थाना [illegible], थाना कुर्सी व महिला थाना।

विशेष अधिनियम से सम्बन्धित वादो की सुनवायी की क्षेत्राधिकारिता निम्नवत होगी—

(i) गौवध निवारण अधिनियम के अन्तर्गत संस्थित होने वाले वादो की सुनवायी का क्षेत्राधिकार, थाने के अनुसार क्षेत्राधिकारिता वाले सम्बन्धित न्यायालयों की होगी।

(ii) लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अन्तर्गत संस्थित होने वाले वादो की सुनवायी का क्षेत्राधिकार, थाने के अनुसार क्षेत्राधिकारिता वाले सम्बन्धित न्यायालयों की होगी।

(iii) वन अधिनियम व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत संस्थित होने वाले पुलिस चालानी वादो की सुनवायी का क्षेत्राधिकार, थाने के अनुसार क्षेत्राधिकारिता वाले सम्बन्धित न्यायालयों की होगी।

(iv) वन विभाग द्वारा किये गये समस्त विभागीय चालान के वादो की सुनवायी का क्षेत्राधिकार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–12 की होगी।

(v) घरेलू हिंसा अधिनियम से सम्बन्धित संस्थित होने वाले वादो की की सुनवायी का क्षेत्राधिकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को छोडकर सभी थाने के अनुसार क्षेत्राधिकारिता वाले सम्बन्धित न्यायालयों की होगी।

(vi) राजपत्रित अधिकारियों से सम्बन्धित वादो की सुनवायी का क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय मे होगा। इसके अतिरिक्त अन्य सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित वादों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार "केवल धारा–156(3) द0प्र0सं0 के प्रार्थना–पत्र को छोडकर" पुलिस थाना अनुसार सम्बन्धित न्यायालयों को होगा।

(vii) धारा 138 Negotiable Instrument Act से सम्बन्धित संस्थित होने वाले वादो की सुनवायी का क्षेत्राधिकार, थाने के अनुसार क्षेत्राधिकारिता वाले सम्बन्धित न्यायालयों को होगा।

उपरोक्त अधिनियमों के अतिरिक्त किसी अन्य विशिष्ट अधिनियम से सम्बन्धित वाद की सुनवायी का क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को होगा, लेकिन आज दिनॉक तक अन्य विशिष्ट अधिनियम के जो वाद जिस न्यायालय मे लम्बित है वे उसी न्यायालय मे विधि अनुसार निस्तारण हेतु यथावत बने रहेगे।

पत्रावलियॉ सम्बन्धित न्यायालय को तत्काल प्रेषित की जाये।

(विजेन्द्र त्रिपाठी)
सी0जे0एम0 बाराबंकी।
26–7–2014

<u>प्रतिलिपि</u>

माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषितः–

1. पुलिस अधीक्षक बाराबंकी।
2. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0 17, बाराबंकी।
3. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0 11, बाराबंकी।
4. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0 12, बाराबंकी।
5. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0 16, बाराबंकी।
6. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0 19, बाराबंकी।
7. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0 25, बाराबंकी।
8. न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–27, बाराबंकी।
9. सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0–24, हैदरगढ़, बाराबंकी।
10. अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–21, बाराबंकी।
11. अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–26, बाराबंकी।
12. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, बाराबंकी।
13. अध्यक्ष जिला बार एसोसियेशन, बाराबंकी।
14. अधीक्षक जिला कारागार, बाराबंकी।

सी0जे0एम0, बाराबंकी।
26–7–2014

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।

प्रशासनिक

पूर्व मे ए0सी0जे0एम0 कोर्ट नं0–11, बाराबंकी के रिक्त होने तथा वर्तमान समय मे ए0सी0जे0एम0 कोर्ट नं0–11 पर पीठासीन अधिकारी के नियुक्ति होने के कारण माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श के उपरान्त दिनांक 20–7–2014 को मजिस्ट्रेट न्यायालयों के कार्य वितरण आदेश को आंशिक रूप से आज दिनांक 17–4–2015 से संशोधित किया जाता है–

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–12, के न्यायालय से थाना मसौली, न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0–21, बाराबंकी के न्यायालय से महिला थाना तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0 26 के न्यायालय से थाना रामनगर से सम्बन्धित समस्त पुलिस [illegible] सुनवाई का क्षेत्राधिकार को वापस लेकर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0–11, बाराबंकी न्यायालय मे [illegible] किया जाता है।

धारा 138 Negotiable Instrument Act से सम्बन्धित [illegible] सुनवाई का क्षेत्राधिकार, थाने के अनुसार क्षेत्राधिकारिता वाले सम्बन्धित न्यायालय का [illegible] मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय मे संस्थित होने वाले थाना कोतवाली नगर, बाराबंकी से सम्बन्धित वादो की सुनवायी का क्षेत्राधिकार ए0सी0जे0एम0 कोर्ट नं0–17 थाना फतेहपुर से सम्बन्धित संस्थित होने वाले वादो का क्षेत्राधिकार ए0सी0जे0एम0 कोर्ट नं0–11 तथा थाना जैदपुर बाराबंकी से सम्बन्धित संस्थित वादो की सुनवायी का क्षेत्राधिकार कोर्ट नं0–12, बाराबंकी के न्यायालय मे होगा।

सम्बन्धित कार्यालय के लिपिकगण अबिलम्ब अनुपालन सुनिश्चित करें।

(सत्यदेव गुप्ता)
सी0जे0एम0 बाराबंकी।
17–4–2015

प्रतिलिपि

माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषित:–

1. पुलिस अधीक्षक बाराबंकी। 18/4/15
2. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0 17, बाराबंकी।
3. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0 11, बाराबंकी।
4. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0 12, बाराबंकी।
5. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0 16, बाराबंकी।
6. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0 19, बाराबंकी।
7. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0 25, बाराबंकी।
8. न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–27, बाराबंकी।
9. सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0–24, [illegible] बाराबंकी।
10. अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–21, बाराबंकी।
11. अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–26, बाराबंकी।
12. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, बाराबंकी। 18/4/15
13. अध्यक्ष जिला बार एसोसियेशन, बाराबंकी।
14. अधीक्षक जिला कारागार, बाराबंकी।

सी0जे0एम0, बाराबंकी।
17–4–2014

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।

प्रशासनिक आदेश

वर्तमान मे ए0सी0जे0एम0 कोर्ट नं0–11 व ए0सी0जे0एम0 कोर्ट नं0–12 बाराबंकी के रिक्त होने के कारण माननीय जनपद एवें सत्र न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श के उपरान्त दिनांक 26–7–2014 व दिनांक 17–4–2015 को मजिस्ट्रेट न्यायालयो के कार्य वितरण आदेश को आंशिक रूप से आज दिनांक 04–7–2015 से संशोधित किया जाता है–

ए0सी0जे0एम0 कोर्ट नं0–11, बाराबंकी के न्यायालय से थाना मसौली से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वादो के संस्थित व सुनवायी के क्षेत्राधिकार को वापस ए0सी0जे0एम0 कोर्ट नं0–16 बाराबंकी के न्यायालय मे अन्तरित किया जाता है।

ए0सी0जे0एम0 कोर्ट नं0–12, बाराबंकी के न्यायालय से थाना बदोसराय से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वादो के संस्थित व सुनवायी के क्षेत्राधिकार को वापस लेकर ए0सी0जे0एम0 कोर्ट नं0–19 बाराबंकी के न्यायालय मे अन्तरित किया जाता है।

ए0सी0जे0एम0 कोर्ट नं0–12, बाराबंकी के न्यायालय से थाना मोहममदपुर खाला से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वादो के संस्थित व सुनवायी के क्षेत्राधिकार को वापस लेकर ए0सी0जे0एम0 कोर्ट नं0–25 बाराबंकी के न्यायालय मे अन्तरित किया जाता है।

ए0सी0जे0एम0 कोर्ट नं0–12, बाराबंकी के न्यायालय से थाना ~~रामनगर~~ व जी0आर0 पी0 से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वादो के संस्थित व सुनवायी के क्षेत्राधिकार को वापस लेकर जे0एम0 कोर्ट नं0–27 बाराबंकी के न्यायालय मे अन्तरित किया जाता है।

ए0सी0जे0एम0 कोर्ट नं0–11, बाराबंकी के न्यायालय से थाना ~~रामसनेही~~ घाट से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वादो के संस्थित व सुनवायी के क्षेत्राधिकार को वापस जे0एम0 कोर्ट नं0–21 बाराबंकी के न्यायालय मे अन्तरित किया जाता है।

ए0सी0जे0एम0 कोर्ट नं0–11, बाराबंकी के न्यायालय से महिला थाना से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी वादो के संस्थित व सुनवायी के क्षेत्राधिकार को वापस ए0सी0जे0एम0 कोर्ट नं0–26 बाराबंकी के न्यायालय मे अन्तरित किया जाता है।

धारा 138 Negotiable Instrument Act से सम्बन्धित संस्थित होने वाले वादो की सुनवायी का क्षेत्राधिकार, थाने के अनुसार क्षेत्राधिकारिता वाले सम्बन्धित न्यायालयों को होगा, परन्तु इसी अधिनियम से सम्बन्धित ए0सी0जे0एम0 कोर्ट नं0–11, बाराबंकी के न्यायालय से थाना फतेहपुर से सम्बन्धित वादो की सुनवायी का क्षेत्राधिकार को वापस लेकर ए0सी0जे0एम0 कोर्ट नं0–16, बाराबंकी के न्यायालय मे तथा ए0सी0जे0एम0 कोर्ट नं0–12, बाराबंकी के न्यायालय से थाना जैदपुर से सम्बन्धित वादो की सुनवायी का क्षेत्राधिकार को वापस लेकर ए0सी0जे0एम0 कोर्ट नं0–19 बाराबंकी के न्यायालय मे अन्तरित किया जाता है।

सम्बन्धित कार्यालय के लिपिकगण अविलम्ब अनुपालन सुनिश्चित करे।

(कुमार प्रशान्त)
सी0जे0एम0 बाराबंकी।
04–7–2015

प्रतिलिपि

माननीय जनपद एवें सत्र न्यायाधीश महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषित:–

1. पुलिस अधीक्षक बाराबंकी।
2. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0 17, बाराबंकी।
3. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0 11, बाराबंकी।
4. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0 12, बाराबंकी।
5. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0 16, बाराबंकी।
6. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0 19, बाराबंकी।
7. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0 25, बाराबंकी।
8. न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–27, बाराबंकी।
9. सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0–24, हैदरगढ, बाराबंकी।
10. अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–21, बाराबंकी।
11. अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–26, बाराबंकी।
12. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, बाराबंकी।
13. अध्यक्ष जिला बार एसोसियेशन, बाराबंकी।
14. अधीक्षक जिला कारागार, बाराबंकी।

सी0जे0एम0, बाराबंकी।
04–7–2015